



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

National Water Development Agency

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



F.No. ADMN-12023/1/2021/2754-68

दिनांक: 26 अप्रैल, 2022

कार्यालय आदेश संख्या 153/2022

सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अनुमोदन से, श्री सीएच. वै. सुब्रह्मण्यम, अधिशाषी अभियंता / उप निदेशक (EE/DD) को वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 (रु.78,800-2,09,200) में अधीक्षण अभियंता (SE) के पद पर दिनांक 01.05.2022 को या उसके बाद नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है। साथ ही अन्वेषण वृत्त, वलसाड में पदस्थापित किया जाता है। इनकी नियमित पदोन्नति उनके संबंधित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। यदि वे एमएसीपी योजना के तहत लेवल - 12 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो वे एफआर 22(आई)(ए)(1) के तहत वेतन निर्धारण का हकदार नहीं होंगे।


26/4/22
(राजेश कुमार)

उप. निदेशक (प्रशासन)

प्रति,

1. मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), राजविअ, लखनऊ/हैदराबाद।
2. निदेशक (तकनीकी/एमडीयू/वित्त), राजविअ, नई दिल्ली।
3. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ, हैदराबाद।
4. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ, वलसाड।
5. अधिशाषी अभियंता, अन्वेषण खंड, राजविअ, हैदराबाद।
6. अधिशाषी अभियंता, अन्वेषण खंड, राजविअ, वलसाड।
7. लेखा अधिकारी, राजविअ, नई दिल्ली।
8. श्री सीएच. वै. सुब्रह्मण्यम, अधिशाषी अभियंता / उप निदेशक, अन्वेषण खंड, राजविअ, हैदराबाद।
9. सतर्कता अनुभाग, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
10. वेब मास्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, साकेत, राजविअ, नई दिल्ली।

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक के निजी सचिव, राजविअ, नई दिल्ली
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव, राजविअ, नई दिल्ली।

